

### नेशनल लोक अदालत दिनांक : 11/02/2017

वादी सहित श्री जी.एस.निगम अधिवक्ता।

प्रतिवादी ढकैली बाई सहित श्री आर.एस.त्रिवेदिया अधिवक्ता।

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में राजीनामा पर विचार हेतु नियत है।

उभय पक्ष द्वारा दिनांक : 27/01/2017 को प्रस्तुत आवेदन में उनके द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है और वादी, प्रतिवादी से 60,000/- रुपये मूलधन एवं 26400/- रुपये ब्याज प्राप्त कर चुका है, अब उनके मध्य कोई लेना-देना शेष नहीं रहा। इसलिए वह इस प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते। बंधक भूमि वादी द्वारा ब्याजमुक्त की जा चुकी है। इसलिए उनका प्रकरण राजीनामे के अनुसार समाप्त कर दिया जाये।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामे एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वेच्छया, बिना किसी भय दबाव या प्रलोभन के तथा स्वतंत्र सम्मति से किया गया प्रतीत होता है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा संविदा विधि या किसी विधि के प्रावधानों के उल्लंघन में या विपरीत नहीं है। फलतः उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है और वादी का वाद निरस्त किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति निर्मित की जाये।

उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 27/01/2017 एवं इस प्रकरण की आज दिनांक : 11/02/2017 की आदेश पत्रिका आज्ञाप्ति का अभिन्न भाग होगी।

उभयपक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

अभिभाषक शुल्क म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम 1961 के नियम 523 के अनुसार अथवा प्रमाणित किये जाने पर दोनों में से जो भी कम हो देय होगा।

प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायशुल्क वापसी योग्य है, इस वावत् प्रमाण-पत्र जारी किया जाये।

प्रकरण का परिणाम व्यवहार वाद पंजी "ब" में दर्ज

कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार  
प्रेषित किया जाये।

01. अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता (सदस्य) (पंकज शर्मा)

02.. महेश चन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता (सदस्य) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत  
जिला भिण्ड